

विद्युत लोकपाल, रायपुर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार सोनी)

प्रकरण क्रमांक 26 / 2026

संस्थित दिनांक 14.05.2026

मेसर्स माँ सावित्री राईस इंडस्ट्रीज, प्रो० देवेंद्र भृगु

ग्राम—सुरखी पो. बिजराडीह, तहसील भाटापारा

जिला—बलौदाबाजार भाटापारा, पिन— 493118 (छ.ग.) अभ्यावेदक/अपीलार्थी

विरुद्ध

1. अधीक्षण अभियंता, (सं/सं.)
छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी. लिमिटेड
बलौदाबाजार (छ.ग.)
2. कार्यपालन अभियंता, (सं/सं.) संभाग
छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी. लिमिटेड
भाटापारा (छ.ग.)
3. सहायक अभियंता, (उपसंभाग)
छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी. लिमिटेड
भाटापारा (छ.ग.) अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

आदेश

(आज दिनांक 29/09/2026 को पारित)

1. अभ्यावेदक/अपीलार्थी द्वारा यह अपील विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण) के द्वारा प्रकरण क्र. 05/रायपुर(ग्रा.) 2025 पक्षकार मेसर्स माँ सावित्री राईस इंडस्ट्रीज विरुद्ध अधीक्षण अभियंता, (सं/सं) छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी. लिमिटेड, व दो अन्य में पारित आदेश दिनांक 25/03/2026 को अपास्त कर निम्न अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है:—

1. अनावेदकगण द्वारा जारी डिमांड 43,3,665/— रूपएवं डिमांड राशि 26,2,892/— रु. का अवैधानिक देयक निरस्त किया जाये।
2. आवेदक को SOP (स्टैंडर्ड ऑफ परफार्मेंस) के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाये।

3. अनावेदकगणों के उक्त कृत्य से आवेदक को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है जिस कारण आवेदक क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है। अतः क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
 4. अनावेदकगण द्वारा ऑडिट राशि के भुगतान पर लगे समस्त सरचार्ज निरस्त की जाये।
 5. अनावेदकगण द्वारा बाद में लगाये गये दाण्डिक (पेनल यूनिट) को भी निरस्त किया जाये।
2. मामले में उभयपक्षों के मध्य इन तथ्यों पर विवाद नहीं है कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी के परिसर में उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा राईस मिल हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है जिसका सर्विस क्रमांक 1001804087 है। माह मार्च 2021 में उक्त विद्युत कनेक्शन के भार में वृद्धि करते हुये उसे 150 एच.पी. किया गया। यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि ऑडिट के पूर्व उक्त विद्युत कनेक्शन के बिल की राशि की गणना LV5 - 5.2.1 में दर्शाये टैरिफ के अनुसार की जा रही थी।
3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा अभ्यावेदक/अपीलार्थी का मामला यह है कि ऑडिट पार्टी के द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना की है, गणना का आधार नहीं बताया गया है, ऑडिट पार्टी ने उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया और ऑडिट पार्टी के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 10/02/2025 के पत्र के द्वारा अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि का 4,33,665/- रु एवं दिनांक 04/12/2025 के पत्र के द्वारा अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक की अवधि का 2,62,892/- रु की मांग करना अवैधानिक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने उपरोक्त वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

4. उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें स्वीकृत तथ्यों के अलावा उसने विनिर्दिष्ट तौर पर यह कहा है कि ऑडिट पार्टी के द्वारा निकाली गई उक्त राशि और ऑडिट पार्टी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा जारी उक्त डिमांड विधिपूर्ण है। उल्लेखित अवधि का बिलिंग LV5 - 5.2.1 में उल्लेखित टैरिफ के आधार पर जो किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है, वास्तव में बिलिंग LV5 - 5.2.2 में उल्लेखित टैरिफ के आधार पर होना चाहिए था। उपभोक्ता ने माह जुलाई 2021 में भारवृद्धि 70 एच.पी. से 150 एच.पी. कराया था किंतु भार वृद्धि के पश्चात् भी विभागीय त्रुटिवश टैरिफ पूर्ववत् ही जारी रहा जिसे माह अक्टूबर 2025 को सेप सिस्टम में सुधार किया गया और ऑडिट पार्टी के द्वारा उपरोक्त त्रुटि को खोज कर अंतर की राशि निकाला गया जो नियमानुसार सही है।
5. प्रस्तुत अपील के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि का 4,33,665/- रु एवं माह अप्रैल 2024 से माह सितंबर 2024 तक की अवधि का 2,62,892/- रु की मांग उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा अभ्यावेदक/अपीलार्थी से किया जाना अनुचित है और क्या उक्त राशि अदा करने के लिए अभ्यावेदक/अपीलार्थी उत्तरादायी नहीं है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

6. अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने स्वयं फोरम के समक्ष प्रस्तुत अपने आवेदन की कंडिका 6 में यह स्वीकार किया है कि उसके परिसर में स्थापित उक्त विद्युत कनेक्शन "150 एच.पी. (111 किलोवॉट) का निम्नदाब कनेक्शन है"। उसके अभिवचन से ऐसा भी परिलक्षित हो रहा है कि वह इस बात को भी स्वीकार कर रहा है कि ऑडिट के समय भी उसका कनेक्शन 150 एच.पी. का था। अंतिम तर्क के दौरान भी उक्त बात को सही होना स्वीकार किया गया है। अंतिम तर्क के

दौरान उभय पक्षों ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त विद्युत कनेक्शन पेटे 150 एच.पी. की भार वृद्धि मार्च 2021 में हुआ था। अस्तु मामले में यह सबित है कि मार्च 2021 में ही उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन की भारवृद्धि 150 एच.पी. हो चुकी थी। इस बिंदु पर भी कोई विवाद नहीं है कि अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक की अवधि के बिल की गणना LV5 - 5.2.1 में उल्लेखित टैरिफ के आधार पर की जाती रही है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उक्त अवधि में सही टैरिफ कौन सा था।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ शेड्यूल का अवलोकन करे तो यह स्पष्ट होता है कि 25 एच.पी. से अधिक और 150 एच.पी. तक के विद्युत कनेक्शनों में LV5 - 5.2.2 में उल्लेखित टैरिफ लागू होगा जिसकी दर LV5 - 5.2.1 में उल्लेखित दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का टैरिफ 1 अप्रैल 2023 से लागू है। यह स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि का बिलिंग LV5 - 5.2.2 में उल्लेखित टैरिफ के अनुसार होना चाहिए था जबकि बिलिंग LV5 - 5.2.1 में उल्लेखित टैरिफ के आधार पर किया गया जो गलत था। राशि की गणना को लेकर कोई विवाद नहीं किया गया है। अस्तु इस बिंदु पर कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 10/02/2025 के पत्र के द्वारा 4,33,665/- रु और दिनांक 04/12/2025 के पत्र द्वारा 2,62,892/- रु की जो मांग अभ्यावेदक/अपीलार्थी से की गई है उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

8. अभ्यावेदक/अपीलार्थी के द्वारा कालातीत होने के आधार पर भी उक्त मांग को चुनौती दी गई है किंतु वह भी उचित नहीं है। राशि की मांग जिस अवधि के लिए की गई है वह अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो रही है। तर्क की दृष्टि से यदि इसी अवधि को ही परिसीमा का प्रारंभ होना मान लिया जावे तब भी दिनांक 10/02/2025 को भेजी गई नोटिस को दो वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होती है। इस बिंदु पर कोई शंका नहीं है कि मांगी गई राशि कालबाधित नहीं है। और इससे इस बिंदु पर भी कोई संदेह नहीं रहा जाता कि उत्तरवादी विद्युत कंपनी

अभ्यावेदक/अपीलार्थी से उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी है और अभ्यावेदक/अपीलार्थी उक्त राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से मैं उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह देता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि का 4,33,665/— रु एवं माह अप्रैल 2024 से माह सितंबर 2024 तक की अवधि का 2,62,892/—रु की मांग उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा अभ्यावेदक/अपीलार्थी से किया जाना अनुचित नहीं है और उक्त राशि अदा करने के लिए अभ्यावेदक/अपीलार्थी उत्तरदायी है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्न के निष्कर्ष के साथ ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी वांछित कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फोरम ने अभ्यावेदक/अपीलार्थी की शिकायत खारिज कर कोई त्रुटि नहीं की है जहां तक देय राशि को किश्तों में अदा करने का प्रश्न है इस संबंध में पहले अभ्यावेदक/अपीलार्थी को उत्तरवादी विद्युत कंपनी से निवेदन करना होगा और असंतुष्ट होने पर फोरम के समक्ष जाना होगा। मैं प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज करता हूँ।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

आदेश पारित किया गया

—सही—
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल

—सही—
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल